



2026:AHC:67540-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट कर संख्या - 1881 वर्ष 2026

मेसर्स राठी स्टील और अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: प्रवीण कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई., धनंजय अवस्थी, सौमित्र सिंह

न्यायालय सं - 3

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार और राजस्व के अधिवक्ता श्री धनंजय अवस्थी को सुना।
2. 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 122 के तहत पारित दिनांक 26.12.2025 के आदेश को चुनौती दी गई है।
3. प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ाई गई हैं, कि कार्यवाही को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में इंगित और संपन्न किया गया है। हालांकि 30.06.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, न तो उस नोटिस के सारांश में और न ही विस्तृत नोटिस में, जवाब प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई तारीख तय की गई थी। विस्तृत नोटिस में केवल इतना ही संकेत दिया गया था कि याचिकाकर्ता तीस दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सकता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने दिनांक 21.07.2025 को आरयूडी की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। आर.यू.डी. अक्टूबर 2025 में बिना किसी कवरिंग लेटर के प्रदान किए गए थे और याचिकाकर्ता को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई और तारीख तय नहीं की गई थी और सूचित नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता क्रमशः 17.12.2025, 22.12.2025 और 24.12.2025 की तारीखों के लिए दिनांक 10.12.2025, 19.12.2025 और 23.12.2025 के किसी भी पत्र को जारी करने या प्राप्त करने पर विवाद करता है। आक्षेपित आदेश के प्रस्तर-387.1 का उल्लेख करते हुए, यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि न तो वे 'पत्र' याचिकाकर्ता को दिए गए थे और न ही निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष इसका प्रतिनिधित्व किया गया था।

4. ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने या सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना, आक्षेपित आदेश पूरी तरह से एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। धारा 75(3) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है क्योंकि 1,79,11,321/- रुपये की प्रस्तावित जुर्माने की मांग के खिलाफ, निर्णायक प्राधिकारी ने 7,16,95,284 रुपये का जुर्माना लगाया है। वह भी पूरी तरह से अस्थिर है।

5. उपरोक्त के साथ सामना किए जाने के कारण, राजस्व के अधिवक्ता नोटिस जारी किए गए थे।

6. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, नोटिस और आक्षेपित आदेश को सादे रूप में पढ़ने के बाद, न्यायालय को यह स्पष्ट है कि 30.06.2025 के एक कारण बताओ नोटिस में प्रस्तुत याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने की तारीख और व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख का खुलासा नहीं किया गया था और इसके अलावा रिट याचिका के प्रस्तर-24 में विशेष रूप से प्रस्तुत किए गए तथ्यों में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 10.12.2025, 19.12.2025 और 23.12.2025 के आगे पत्र नहीं दिए गए थे, आक्षेपित आदेश के अवलोकन से ही पुष्टि की जाती है, यह मामला हमें आगे नहीं रोक सकता है। साथ ही, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि लगाया गया जुर्माना प्रस्तावित दंड से कहीं अधिक है। अधिनियम की योजना में ऐसा कभी नहीं किया जा सकता है।

7. तदनुसार, आक्षेपित आदेश को केवल प्रस्तुत याचिकाकर्ता की सीमा तक ही रद्द/अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद एक नया आदेश पारित करने के लिए मामले को निर्णायक प्राधिकारी को भेज दिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

9. याचिकाकर्ता को अब आक्षेपित आदेश दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता इसे कारण बताओ नोटिस के हिस्से के रूप में मान सकता है और आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपना अंतिम जवाब दाखिल कर सकता है। इसके बाद प्रतिपक्षी संख्या-3 याचिकाकर्ता को कम से कम 15 दिनों के स्पष्ट नोटिस के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख के बारे में सूचित करेगा। याचिकाकर्ता कार्यवाही में सहयोग करने का वचन देता है और किसी भी अनुचित या लंबे निर्णय की मांग नहीं करता है। इस प्रकार निर्णायक प्राधिकारी 30.05.2026 को या उससे पहले कार्यवाही समाप्त करना सुनिश्चित कर सकता है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश प्रस्तुत याचिकाकर्ता के अजीबोगरीब तथ्यों में पारित किया गया है जैसा कि ऊपर देखा गया है। इसका अन्य कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है जिसमें सह-नोटिस ने भाग लिया होगा।

मार्च 31, 2026

अभिलाष

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी)

(न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)